



दुमका समाहरणालय  
जिला राजस्व शाखा।  
पत्रांक 952/रा0

प्रेषक,  
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
-सह-  
अपर समाहर्ता, दुमका।

सेवा में,  
अवर सचिव,  
झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची

दुमका दिनांक 12-10-20

विषय:- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के website में पंजीकृत complaint id-19022020013 and Reg Date-19-02-2020 के संबंध में जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।  
प्रसंग:- अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-516/दिनांक-07.09.2020  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक website से प्राप्त शिकायत पत्र के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन मामलें की जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से कराई गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-940/जि0आ0 दिनांक-07.10.2020 के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को मूल रूप से इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए कहना है कि शिकायतकर्ता आशा देवी का शिकायत है कि राशन कार्ड में तीन जन का नाम जुड़वाना है, प्राप्त शिकायत पर आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी  
-सह-  
अपर समाहर्ता, दुमका।



दुमका समाहरणालय

(ISO 9001:2015 Certified)

(जिला आपूर्ति कार्यालय)

पत्रांक 946/जि0आ0

1623  
12-10-20

श्रीमती सुनीता देवी  
9.10.20

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
दुमका।

सेवा में,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी  
-सह- अपर समाहर्ता,  
दुमका।

दुमका, दिनांक 7.10.20

विषय:-

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के Website के माध्यम से आठ (8) शिकायतों का निवारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग Website के माध्यम से प्राप्त आठ (8) शिकायतों का कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

क्र०	Personal Information Id	शिकायत	कृत कार्रवाई
1.	19022020013 (Asha Devi)	इस राशन कार्ड में 3 मेंबर का नाम जोड़ने के लिए 11.10.2017 को ऑनलाईन आवेदन किये है लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है अतः आप आपसे अनुरोध है कि राशन कार्ड में नाम जोरवानी की कृपा की जाय। 1. आशा देवी 3620202870, 2. सुनीता देवी 3620202872, 3. डाक्टर मांझी 3620202871	प्राप्त शिकायत पर आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

7.10.20

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
दुमका।